न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी – श्री सूरजभान विश्नोई, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन :– 223/2023 अन्तर्गत धारा 251 'क' Rt Act

अनवान :–

प्रार्थीगण:–

1.पन्नू पुत्र काना, जाति मेघवाल
निवासी सोमराड़, तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण:–

1.दरियादेवी पत्नि पांचाराम, जाति मेघवाल
2.तारीदेवी पत्नि समरथाराम, जाति मेघवाल
निवासी बीसासर, तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर
3.पिताम्बरदास पुत्र पूनमचन्द, जाति महाजन,
निवासी सोमराड़, तहसील धनाऊ
4.तहसीलदार धनाऊ

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

वकील प्रार्थी :– श्री महिपालदान चारण

वकील विप्रार्थीगण :– श्री सारंगराम मेघवाल (विप्रार्थी सं. 1 व 2)

निर्णय

दिनांक 26.07.2024

प्रार्थी पन्नू पुत्र काना, जाति मेघवाल, निवासी सोमराड, तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत 251 (क) राजस्थान काश्तकारी / संशोधन अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी सदभावी काश्तकार है। प्रार्थी के खातेदारी का खेत मौजा सोमराड़, तहसील धनाऊ जिला बाडमेर में खसरा नं. 437/238 रकबा 05.6575 हैक्टयर का आया हुआ है। [illegible] जोत पर आने जाने का कोई रास्ता नहीं है एवं काश्त के समय प्रार्थी की जोत [illegible] चारों ओर के काश्तकार अपनी अपनी काश्त कर लेते है। जिससे प्रार्थी अपनी [illegible] में आने जाने से बाधित होता है। अतः प्रार्थी को विप्रार्थी सं. 1 से 3 के खेत खसरा नं. 476/272 एवं खसरा [illegible] 271 मे से आने जाने के लिए रास्ता दिया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.08.20 11:17:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/रजि नोटिस से तलब किया गया। तहसीलदार धनाऊ से चाहे गये रास्ते की मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। विप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री सारंगराम मेघवाल ने वकालतनामा पेश किया। तहसीलदार धनाऊ से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसका अवलोकन किया गया और मौका रिपोर्ट पुनः तलब की गई। तहसीलदार धनाऊ से पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई, शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली पेश हुई विप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः विप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई । प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि प्रार्थी को रास्ते की अत्याधिक आवश्यकता है, तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को रास्ता दिया जावे।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधा जनक उपभोग के लिए नहीं है। इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। जैसा कि मौका रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी के खेत से गांव , आबादी, बस स्टेशन , स्कूल आदि तक आवागमन का कोई अन्य रास्ता नहीं है।

अतः प्रार्थी की मांग उचित प्रतित होती है और प्रार्थी को जो रास्ता दिया जाना है वो न्याय संगत है। प्रार्थी को जो रास्ता दिया जाना है उसका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. सं.	खसरा संख्या	रकबा हैक्टयर में	किस्म	रास्ते की चौड़ाई फीट में	रास्ते हेतु समाविष्ट भूमि का रकबा	मौजा	खातेदार का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	476/272	02.2662	बा.सो.	18 फीट	[illegible]	सोमराड़	तारीदेवी पत्नि समरथाराम, दरियादेवी पत्नि पांचाराम, कौम मेघवाल, सा.देह खातेदार
2	271	09.6882	बा.सो.		[illegible]	सोमराड़	पिताम्बरदास पुत्र पूनमचन्द कौम महाजन, सा.देह

Signature Not Verified
Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.08.20 11:17:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलग्न नक्शा ट्रेस व फर्द मौका में अनुसार प्रार्थी को उपरोक्त खसरान के अंदर से जो रास्ता दिया जाना है वह सलग्न नक्शा में बरंग गुलाबी से दर्शाया गया रास्ता प्रार्थी को दिया जाता है और इस प्रस्तावित नए मार्ग में कोई मकान व कीमती पेड और न ही किसी प्रकार का बेरा/टांका बना हुआ है।

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी/संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (a) में स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नही होता है तो जिला स्तरीय कमेटी/ डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थी को रास्ता दिया जा सकता है। और अन्य कोई पेड फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

प्रस्तुत आवेदन में प्रस्तावित नए रास्ते में कोई मकान व कोई कीमति पेड़ या अन्य कोई संरचना नहीं है। अतः प्रभावित (पक्षकारों) / विप्रार्थीगण को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में प्रार्थीगण द्वारा देय होगी और प्रार्थी द्वारा प्रभावित पक्षकारों को दी जाने वाली राशि नए रास्ते के लिए प्रस्तावित समाविष्ट भूमि के रकबे की डीएलसी द्वारा निर्धारित दर से दौगुणा राशि के बराबर होगी। डीएलसी द्वारा निर्धारित निर्णय दिनांक की ही मान्य होगी और इसी आधार पर प्रार्थी द्वारा विप्रार्थीगण/प्रभावित पक्षकारों को भुगतान करना अनिवार्य होगा।

प्रार्थी के आवेदन की गंभीरता व आत्यांतिक आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1) – (b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न नक्शा ट्रेस में बरंग गुलाबी 18 फीट चौडा रास्ता प्रार्थी के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। तथा प्रार्थी को उपरोक्त खसरान में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :–

1. तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में सलंग्न मौका नक्शा ट्रेस में बरंग गुलाबी दर्शाया गया प्रस्तावित नए [illegible] वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित [illegible] द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की गणना कर [illegible] तहसीलदार द्वारा [illegible] दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी। जिसमें प्रत्येक [illegible] राशि की अलग अलग गणना की जायेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.08.20 11:17:00 IST
Reason: SelfAttested

2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थी द्वारा प्रभावित पक्षकारो (विप्रार्थीगण) को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे

की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में किया जो डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा के बराबर होगी।

3. प्रार्थी द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थीगण (प्रभावित पक्षकारों) को प्रदान करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। तहसीलदार द्वारा इस बात का विनिश्चय किया जाएगा कि विप्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हो चुकी है। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर क्षतिपूर्ति राशि लेने से इनकार करता हो तो प्रार्थी द्वारा यह राशि तहसीलदार को प्रस्तुत की जावेगी । क्षतिपूर्ति राशि तहसील में जमा करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। जिसे तहसीलदार द्वारा विप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जावेगी।

4. नए प्रस्तावित 18 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में ''**रास्ता**'' के रूप में अभिलिखित की जायेगी। जो कि सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रयुक्त होगा।

5. प्रार्थी को उक्त 18 फीट चौड़े रास्ते में केवल रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होंगे।

6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थी को नया तथा 18 फीट चौडा रास्ता तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय सलंग्न नक्शा में बरंग गुलाबी दिए जाने का आदेश आज दिनांक 26.07.2024 को दिया जाता है। अतः नियमानुसार निर्णय पालना हेतु तहसीलदार धनाऊ को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसला शुमार होकर दफ्तर [illegible] हो। संख्या से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.08.20 11:17:00 IST
Reason: SelfAttested

(सूरजभान विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एवं जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 10/06/2024 11:54:56 AM

जिला : बाड़मेर

तहसील : धनाऊ

भू. अ. नि. क्षेत्र : बुरहान का तला

पटवार मंडल : तालसर

ग्राम : सोमराड

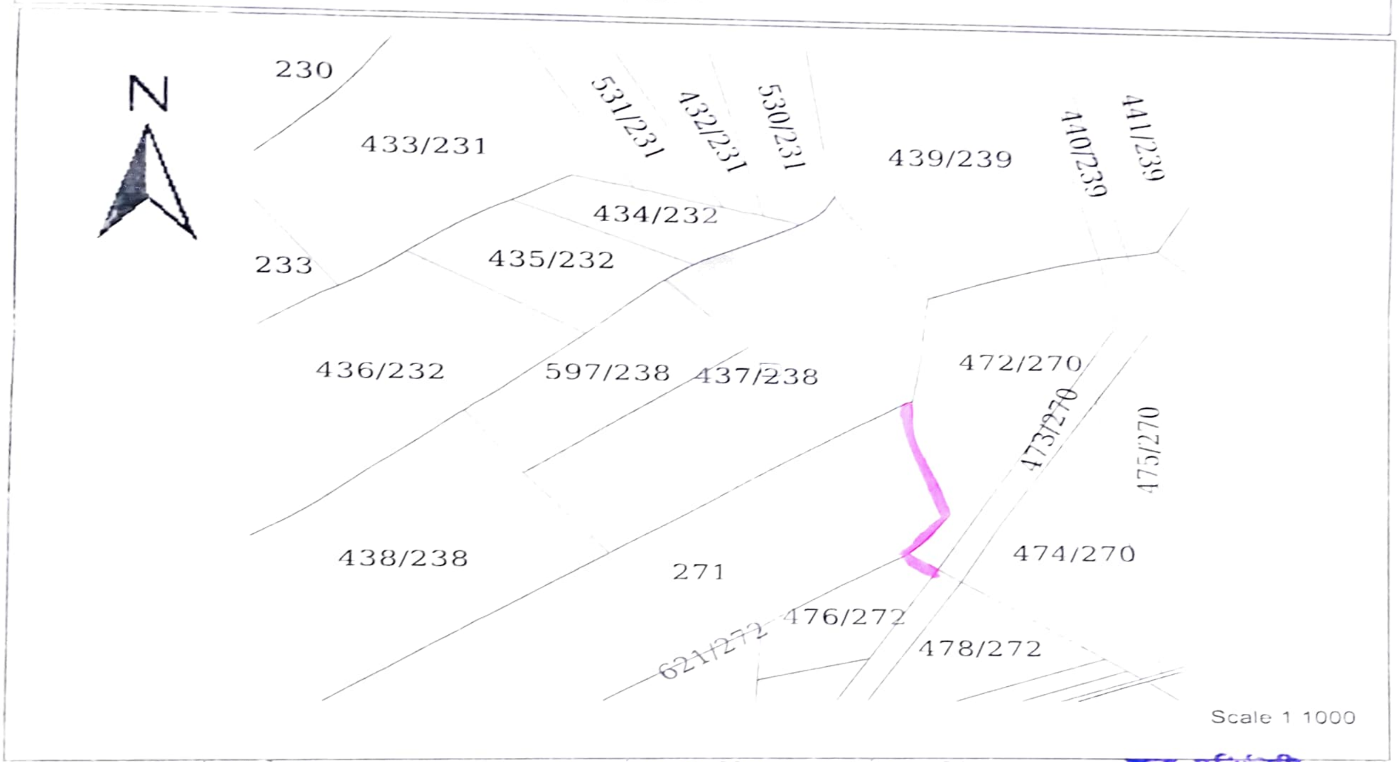

खसरा संख्या :437/238 क्षेत्रफल : 5.6575 Hectare खाता संख्या : 100 पुराना खाता संख्या : 84

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: बा.सोयम [5.6575, 1.07]

1.) पनू पुत्र काना हिस्सा- पूर्ण जाति-गोगावत सा. स्व. खातेदार (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर

सत्य प्रतिलिपि P-36 क्रमांक 223 दिनांक 10/06/2024 जारी की गई ।

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

10/06/2024

(लूणा खान)

पटवारी(भू.अ.) तालसर

तहसील धनाऊ (बाड़मेर)

तहसीलदार धनाऊ

Signature Not Verified

Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.08.20 11:17:00 IST
Reason: SelfAttested

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता
३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु

ULPIN no : null

Ex-count

उपखण्ड अधिकारी

चौहटन